समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–84 / 2022–23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

मुस्तफा अंसारी एवं अन्य

–::आदेश::–

25.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–16 / 2022, दिनांक–23.11. 2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि बोकारो थर्मल थाना कांड सं0–47 / 2020, दिनांक–25.04.2020, धारा–379 / 413 / 414 / 34 भा0द0वि0 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत जप्त 1. वाहन डिस्कभर पंजीयन सं0–JH10P-7312 Ch.No. MD2DSJNZZPCG56510 एवं उस पर लदा करीब 5 क्विंटल कच्चा कोयला वाहन मालिक मुस्तफा अंसारी उर्फ गुलाम मुस्तफा, पिता अब्दुल समद सा0–नरकीकला, पो0–नरकी खुर्द, थाना–विष्णुगढ़ जिला हजारीबाग 2. टी0भी0एस0 मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–JH09AF-7926, Ch.No. MD634KE49G2F 54785, Eng.No.-OE4EG2984416 एवं उस पर लदा 3 क्विंटल कच्चा कोयला वाहन मालिक श्री करण कुमार रवि, पिता चमटु राम, ग्राम–गलहोबार, थाना–विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग के विरूद्ध बिना परिवहन चलान के परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप जप्त वाहन एवं कोयला को The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षी पिछले नौ तिथियों से सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–24.04.2020 को बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के ग्राम ओरमों के पास स्थित जंगल में अवैध कोयला के उत्खनन एवं परिवहन के रोकथाम हेतु पुलिस दल के सदस्यों के द्वारा छापेमारी

की गई। छापेमारी के क्रम में देखा गया कि 7–8 व्यक्ति कोयला लोड कर रहे थे। पुलिस दल को देखकर सभी लोग भागने लगे। पुलिस पदाधिकारी एवं बल के सहयोग से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति ने कहा कि इनके अन्य सभी भागने वाले साथी अवैध कोयला का खनन एवं बिक्री का कार्य करते है। फलस्वरूप घटनास्थल पर विधिवत रूप से जप्ती सूची बनाकर प्रश्नगत वाहन एवं कोयले को जप्त किया गया। अवैध तरीके से कोयले का खनन एवं परिवहन करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी वाहन मालिक मुस्तफा अंसारी उर्फ गुलाम मुस्तफा, पिता अब्दुल समद सा0–नरकीकला, पो0–नरकी खुर्द, थाना–विष्णुगढ़ जिला हजारीबाग एवं श्री करण कुमार रवि, पिता चमटु राम, ग्राम–गलहोबार, थाना–विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग वाद के सुनवाई के दौरान पिछले नौ तिथियों से पुकार पर लगातार अनुपस्थित है। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण पृच्छा/लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

वर्णित परिस्थिति में विद्वान सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी के द्वारा बिना वैध कागजात के ही कोयले का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। कोयले के अवैध उत्खनन कर परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है एवं सरकारी सम्पत्ति की अवैध विनियमन में विपक्षी की संलिप्तता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–16/2022, दिनांक–23.11.2022 को स्वीकृत करते हुए बोकारो थर्मल थाना कांड सं0–47/2020, दिनांक–25.04.2020, धारा–379/413/414/34 भा0द0वि0 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत जप्त वाहन डिस्कभर पंजीयन सं0–JH10P-7312 Ch.No. MD2DSJNZZPCG56510 एवं उस पर लदा

करीब 5 क्विंटल कच्चा कोयला तथा टी0भी0एस0 मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–JH09AF-7926, Ch.No. MD634 KE49G2F 54785, Eng.No.-OE4EG2984416 एवं उस पर लदा 3 क्विंटल कच्चा कोयला को परिवहन करने के आरोप में राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

25.7.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

25.7.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.28 18:49:56 +05:30
Location: 192.168.1.111